



2026:AHC:5844

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 13 सन् 2026

लाल बहादुर

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: अभिषेक यादव, धीरज कुमार, राय साहब यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय

1. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता, राज्य-प्रतिवादीयों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता एवं ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित प्राथना सहित दायर की गई है:

"(i) प्रतिवादी प्राधिकरण अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके अन्तर्गत ग्राम परासा पाण्डेय, पुरन्दरपुर, टप्पा लोहदा, पो.-सोनबरसा, परगना-हवेली, तहसील-नौतनवाँ, जिला-महराजगंज में स्थित अराजी संख्या 285 मिनजुमला क्षेत्रफल 0.057 हेक्टेयर एवं अराजी संख्या 286 मिनजुमला क्षेत्रफल 0.146 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में क्रमशः पोखरी एवं खड-गढ़ के रूप में दर्ज हैं, से सार्वजनिक हित में अतिक्रमण हटाया जाए; प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार द्वारा वाद संख्या 03437/2020 (कम्प्यूटर वाद संख्या टी2020-05470303437) (ग्राम सभा बनाम वसीर/प्रतिवादी संख्या 6), वाद संख्या 03439/2020 (टी2020-05470303439) (ग्राम सभा बनाम नाज़ीर/प्रतिवादी संख्या 7), वाद संख्या 03440/2020 (टी2020-05470303440) (ग्राम सभा बनाम रमजान/प्रतिवादी संख्या 8), वाद संख्या 03442/2020 (टी2020-05470303442) (ग्राम सभा बनाम मशहूर आलम/प्रतिवादी संख्या 9) एवं वाद संख्या 03443/2020 (टी2020-05470303443) (ग्राम सभा बनाम मशहूर आलम मदरसा प्रबन्धक/प्रतिवादी संख्या 9) में उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत दिनांक 18.12.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 6

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से 9 के विरुद्ध क्रमशः रु. 7,000/-, रु. 30,000/-, रु. 3,000/-, रु. 4,000/- एवं रु. 32,000/- के अधिरोपित दण्ड के साथ अतिक्रमणकारियों/प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के विरुद्ध विधि के अनुसार उचित कार्यवाही की जाए, अन्यथा याची एवं आम जनता को अपूरणीय क्षति एवं कठिनाई होगी।"

3. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तहसीलदार द्वारा उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली एवं हर्जाने का आदेश पारित किये जाने के बावजूद, उक्त आदेश का मौके पर उचित रीति से प्रभाव नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विचाराधीन भूखण्ड से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु उचित निर्देश जारी किया जाए।

4. मैंने याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है एवं अभिलेखों का परिशीलन किया है।

5. इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन भूखण्ड के सम्बन्ध में उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली एवं हर्जाने का आदेश पारित किया गया था।

6. उ.प्र. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 के अन्तर्गत उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत पारित आदेश की तामीली हेतु उपबन्ध विहित किया गया है, अतः इस जनहित याचिका को उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत पारित आदेश की तामीली हेतु ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

7. यह जनहित याचिका इस टिप्पणी के साथ खारिज की जाती है कि उ.प्र. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 के अन्तर्गत विहित विधि के अनुसार उचित कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

9 जनवरी, 2026

रमीज़